(132)

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर के न्यायालय में

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा/2018/2049

जगदीश पिता रायसिंह पंवार
निवासी– ग्राम राजधरा तहसील व जिला इंदौर। — प्रार्थीगण

विरूद्ध

1– हरीश पिता मूलचंद पाल
2– राजेश पिता हरीश पाल
दोनों निवासी– ग्रेटर ब्रजेश्वरी कालोनी पिपल्याहाना इंदौर
3– रवि चौधरी पिता सुभाष चौधरी
निवासी– ग्राम निहालपुर मुण्डी तहसील व जिला इंदौर। — प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी कम्पेल द्वारा प्रकरण कमांक 07/अपील/17–18 में दिनांक 16–03–18 को पारित प्रोसिडिंग आदेश से असन्तुट होकर प्रार्थी यह निगरानी निम्नलिखित कारणों से प्रस्तुत करता है :–

प्रकरण के तथ्यः–

1– ग्राम राजधरा तहसील व जिला इंदौर में सर्वे क्र. 94/1 रकबा 1.004 हेक्टेयर एवं सर्वे क्र. 94/2 रकबा 0.251 हेक्टेयर इस प्रकार कुल रकबा 1.255 हेक्टेयर की भूमि प्रतिप्रार्थी क्र. 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की स्थित रही है।

उपरोक्त वर्णित भूमियों के संबंध में प्रतिप्रार्थी क्र. 1 व 2 के द्वारा प्रतिप्रार्थी क्र. 3 रवि चौधरी पिता सुभाष चौधरी के हित में रजि. आममुख्त्यार नामा क्र. 4अ/398 (1/3) दिनांक 08/09/2014 को निष्पादित किया गया। जिसके आधार रवि चौधरी को उक्त भूमि की उचित देखभाल, विकास विक्रय व निम्नतम से उच्चतम न्यायालयों में पैरवी करने, वकील नियुक्त दावा, जवाबदावा आदि सभी कार्यवाही करने तथा एक या अलग भागों में भूमि को विक्रय करने, इकरारनामा निष्पादित करने निष्पादक की ओर से प्रतिफल राशि प्राप्त करने आदि समस्त कार्यवाही करने हेतु नियुक्त किया गया था। उक्त रजि0 आममुख्त्यार नामा लेख के आधार पर प्रश्नाधीन भूमियों को प्रतिप्रार्थी क्र. 1 व 2 की ओर से नियुक्त आममुख्त्यार प्रतिप्रार्थी क्र. 3 के द्वारा विधिवत रूप से 75,30,000/– पिचहत्तर लाख तीस हजार मात्र में प्रार्थी के पक्ष में रजि. विक्रय पत्र क्र. 1अ/292 (1/5) में दिनांक 31/7/2015 को निष्पादन किया गया। संपूर्ण प्रतिफल की राशि प्रतिप्रार्थी क्र. 1 व 2 के खाते में जमा भी हुई है। जिसकी रसीद भी प्रार्थी के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2– प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित रजि. विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 109–110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, प्रार्थी के नामांतरण किये जाने में प्रतिप्रार्थी क्र. 1 व 2 के द्वारा अपनी सहमति भी प्रदान की गई। उक्त आधार पर श्री नीरज खरे तहसीलदार कंपेल खुडैल क्षेत्र के ग्राम राजधरा तहसील इंदौर की नामांतरण पंजी क्र. 2 दिनांक 20/11/2015 में प्रमाणीकरण आदेश

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भूरा/2018/2049

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	